राज्य बिजली बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अदा की जाने वाली बकाया राशी

4453. श्री जगेश्वर मिश्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की राज्य बिजली बोर्डों की ओर कुल कितनी बकाया राशियां हैं,

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बकाया राशियों की वसूली के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों को रियायतें देने पर सहमत हो गया है,

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा बकाया राशियों के भुगतान के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) : (क) 31-3-95 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टीपीसी) की राज्य बिजली बोर्डों की ओर कुल बकाया देय राशियां 3083.80 करोड़ रुपए, 1641.56 करोड़ रुपए और 1442.24 करोड रुपए प्रभार की राशि समेत) हैं।

(ख) जी,हां एनटीपीसी, अपनी देय राशियों का समय से भुगतान किए जाने हेतु रियायतों की अनुमति दे रहा है ।

(ग) और (घ) अधिकतर राज्य बिजली बोर्डों की देय राशियों का समय से भुगतान किए जाने हेतु प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है तथापि, कुछेक राज्य बिजली बोर्डों से देय राशियों को वसूलने में समस्याएं सामने आई हैं।

Regulation of Power Supply to State Electricity Boards by NHPC

4454. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the National Hydro-electric Power Corporation propose to regulate the supply of power to State Electricity Boards (SEBs) which have defaulted the payment of outstanding power dues to NHPC;

(b) if so, what are the names of the defaulting SEBs and what is the amount outstanding against each SEB as on 31st March, 1995;

(c) what steps have so far been taken by NHPC for getting the arrears cleared from the defaulting SEBs;

(d) what will be the effect of regulating the power supplies to SEBs;

(e) whether several parts of north Indian States and also other States may have to go without power or face shortage of power during this summer; and

(f) if so, what steps Government propose to take to meet the power supply shortage and to ensure adequate supply of power to the people particularly during the summer seasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) The allocation of power to various States|Union Territories from the power stations of the National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) is, *interalia*, subject to the condition that in case of failure of the beneficiary to ensure timely payment, NHPC may shut off or restrict power supply to it and advise the concerned Regional Electricity Board to reallocate the surplus power to other beneficiaries. Accordingly, when a beneficiary is not able to liquidate the arrears inspite of persistent requests and follow-ups, NHPC may consider regulating supply of power, subject to consideration of grid security. Presently, NHPC has indicated that it proposes to regulate the supply of power to Haryana, Uttar Pradesh and Delhi as the amounts outstanding against HSEB, UPSEB and DESU as

on 31.3.1995 are Rs. 167.17 crores, Rs. 128.18 crores and Rs. 84.93 crores respectively.

(c) The steps taken for getting arrears cleared from the defaulting SEBs include constant follow-up at various levels persuading the SEBs to open Letters of Credit and to execute commercial agreements in favour of NHPC for purchase of power. In addition, the outstanding amount upto 31st March, 1994 is being recovered in instalments through the Central Plan Allocations of the defaulting States.

(d) Regulating the power supplies to defaulting SEBs is expected to convince them of the need to discharge their liability towards NHPC in a more effective manner.

(e) The overall energy shortage in Northern Region and in the country as a whole is expected to be between 8-10 per cent during this summer.

(f) The measures being taken to improve the availability of power include expediting the commissioning of new generating capacity, implementation of short gestation projects improving the performance of existing power stations, reduction of transmission and distribution losses, implementation of better demand management and energy conservation measures, arranging transfer of energy from surplus to deficit areas and promotion of Private Sector investment in power sector.

बिजली की पारगम्यता तथा वितरण संबंधी हानि

4455. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री मती सुषमा स्वराज

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की पारगम्यता तथा वितरण संबंधी हानि का औसत विश्व के अन्य विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों में इसहानि की सामान्य दर कितनी है ;

(ग) आय की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस हानि का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस अधिक हानि के कारण देश में बिजली अपेक्षाकृत महंगी हो जाती है ;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है और सरकार ने देश मे बिजली की पारगम्यता तथा वितरण संबंधी हानि की अलग-अलग प्रतिशतता का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने देश में बिजली की पारगम्यता के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) (क) जी हां । देश में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विद्युत की औसत पारेषण एवं वितरण हानियां, विश्व के कुछ अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है ।

(ख) विकसित देशों में पारेषण एव वितरण हानियां 5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक की सीमा में हैं, जबकि विकासशील देशों में ये 8 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की सीमा में हैं। कुछेक विकसित एवं विकासशील देशो मे पारेषण एवं वितरण हानियों को इंगित करने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1993-94 हेतु देश में कुल मिलाकर पारेषण एवं वितरण हानिया 21.46 प्रतिशत (अनंतिम की सीमा में थी) ।